नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 04 अप्रैल, 2018

संख्या टीसीपी–एफ(5)–1/2018–लूज.——हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) नियम, 2018 के प्रारूप को, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, तद्द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप (पों) और सुझाव(वों) को आमंत्रित करने के लिए, इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 23–02–2018 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और इस निमित्त राज्य सरकार को नियत अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव प्राप्त हुए और उन पर विचार किया गया और उन को अस्वीकृत किया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0–ए (3)–1/2014–1 तारीख 1–12–2014 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 01–12–2014 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:——

1. **संक्षिप्त नाम.**——इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 है।

2. **नियम 34 का संशोधन.**——हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 34 के उप–नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप–नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:——

"(2) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 39–ख की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जहां कहीं किसी भवन के अनधिकृत भाग को सीलबन्द किया जाता है, वहां इस निमित्त सरकार का सशक्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि–

(क) सीलबन्द ऐसी रीति में किया गया हो कि सीलबन्द भाग अनुपयोगी हो जाए। ऐसा, अनधिकृत भाग के समस्त दरवाजों और खिड़कियों को ईंट की दीवारों से सील करके, अनधिकृत भाग की ओर जाने वाली पौड़ियों को तोड़कर/सील करके और ऐसे उपाय करके किया जा सकेगा जो आवश्यक समझे जाएं;

(ख) यदि अनधिकृत भाग को, इस निमित्त सशक्त सरकार के अधिकारी के समाधानप्रद सीलबन्द किया गया है तो भवन के शेष भाग को अस्थायी रूप से उपयोग किए जाने हेतु अनुमत किया जा सकेगा और सेवाओं को भी पुनः संयोजित किया जा सकेगा यदि उल्लंघनकर्ता/स्वामी इन नियमों से संलग्न प्ररूप 25–क में वचनबंध अभिप्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के भीतर भवन के शेष बचे अनधिकृत प्रभाग के किसी भाग को हटाने का करार कर देता हैः

परन्तु भवन के किसी ऐसे भाग को सीलबन्द नहीं किया जा सकेगा जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

स्पष्टीकरण.——योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों के लिए तैयार की गई अंतरिम विकास योजना और विकास योजनाओं में तथा इन नियमों से सलंग्न परिशिष्ट–1 के अधीन निर्दिष्ट क्षेत्रों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस उप–नियम में अन्तर्विष्ट उपबन्ध प्ररूप 25–क के साथ–साथ लागू होंगे"।

3. प्ररूप 25–क का अन्तःस्थापन.––उक्त नियमों में प्ररूप 25 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप 25–क अन्तःस्थापित किया जाएगा,––

"नगर एवं ग्राम योजना विभाग हिमाचल प्रदेश

प्ररूप 25–क

[नियम 34 (2) देखें]

वचनबंध

मैंने, अर्थात श्री / श्रीमति / कु0————————————————————सपुत्र / पत्नी / सपुत्री श्री——————————————निवासी——————————————ने अपनी भूमि, मन्दरजा खसरा संख्या—————————— हदबस्त ——————————— संख्या ——————————— स्थित मोहाल / मौजा ——————— तहसील ———————— जिला ——————— हिमाचल प्रदेश, पर—————— अनधिकृत सन्निर्माण / विकास किया है।

मुझे, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के उपबन्धों के अधीन पत्र संख्या———————तारीख——————द्वारा एक नोटिस की तामील हुई है।

सक्षम प्राधिकारी नामतः__________________ द्वारा मुझे प्रदान किए गए सुनवाई के अवसर के दृष्टिगत मैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके आदेश संख्या—————— तारीख————— द्वारा आदेशों के जारी होने की तारीख से———दिनों / महीनों की अवधि के भीतर अनधिकृत सन्निर्माण / विकास को एतद्द्वारा हटाने का करार करता हूँ।

मुझे इस अवधि के दौरान, भवन के शेष बचे अनधिकृत भाग का अस्थायी रूप से उपयोग करने हेतु अनुज्ञात किया जाए।

मैं उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान, उपर्युक्त भवन के लिए मुझे जारी सेवा संयोजन(नों) के लिए हकदार रहूंगा, जिसके पश्चात् संयोजन बन्द किए जाने हेतु दायी होंगे और सक्षम प्राधिकारी, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार कोई कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मैं, सक्षम प्राधिकारी के निदेशों के अनुसार अपने भवन के अनधिकृत भाग को स्वतः सीलबन्द कर दूंगा और भवन के अनधिकृत भाग को सीलबन्द करने में अन्तर्वलित सम्पूर्ण व्यय, चाहे वह सामग्री से या श्रम से सम्बन्धित हो, मेरे द्वारा वहन किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीलबन्दी किए जाने की दशा में, सम्पूर्ण व्यय, मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को संदत्त किया जाएगा, ऐसा न होने पर, उसे भू–राजस्व के बकाए के रूप में मुझसे वसूल किया जाएगाश।

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर__________

पता____________________

दूरभाष संख्या————————————

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अति0 मुख्य सचिव (टीसीपी)।

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. TCP-F(5)-1/2018-Loose Dated 04-04-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 4th *April,* 2018

No. TCP-F (5)-1/2018-loose.—WHEREAS, the draft Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Rules, 2018 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, *vide* this Department Notification of even number dated 23-02-2018 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person likely to be affected thereby, as required under sub-section (1) of section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977);

AND WHEREAS, objection(s) and suggestion (s) have been received within the stipulated period by the State Government in this behalf and the same have been considered and rejected;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014, notified *vide* this Department Notification No. TCP-A (3)-I/2014-I dated 1-12-2014 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 1-12-2014, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (2nd Amendment) Rules, 2018.

2. Amendment of rule 34.—In rule 34 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 (hereinafter referred to as the 'said rules'), after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2) Wherever any un-authorized part of a building is sealed under the provisions of sub-section (1) of Section 39-B of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977, the Officer of the Government empowered in this behalf shall ensure that—

(*a*) the sealing is done in such a manner that the sealed portion is rendered non-usable. This may be done by sealing all the doors and windows by way of brick-walls, breaking/sealing the stair-case leading to the un-authorized portion and taking such measures as may be considered essential;

(*b*) if the un-authorized portion is sealed to the satisfaction of the Officer of the Government empowered in this behalf, the remaining portion of the building may be allowed to be used temporarily and services be re-connected if the violator/ owner agrees to remove the part of remaining un-authorized portion of the building within a period of one year after obtaining an Undertaking in **Form 25-A** appended to these rules:

Provided that no sealing may be done on the part of building which has been approved by the Competent Authority.

Explanation.—Notwithstanding anything contained in Interim Development Plan and Development Plans prepared for Planning Areas and Special Areas and in areas referred under Appendix-I appended to these Rules, the provisions contained in this sub-rule shall apply alongwith Form 25-A.".

3. Insertion of form 25-A.—In the said rules, after form 25, the form 25-A shall be inserted as under:—

"TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT HIMACHAL PRADESH

FORM- 25-A

[*See* rule 34(2)]

UNDERTAKING

That I, Sh./Smt./Miss…………………………………………………………………… s/o/w/o/d/o.., Resident of …………………………………… have undertaken un-authorized construction/development comprising of………………………….. on land bearing Khasra No…………………….……….,. Hadbast No...................................... Mohal / Mauza ……................................... Tehsil.............................. District.................................. Himachal Pradesh, on my own land.

That I have been served with a Notice under provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 by…………………………… *vide* letter No.………………….. dated……………………..…

That in view of the opportunity of hearing afforded to me by the Competent Authority namely………………………………….., I hereby agree to remove the un-authorized construction/development, within a period of ……………days / months from the date of issue of orders by the Competent Authority *vide* its Order No. …………………………………………….. dated………………………

That I may be allowed to use the remaining authorized portion of the building temporarily during this period.

That I shall remain entitled to the service connection(s) issued to me for the aforesaid building during the period mentioned above, after which the connections shall be liable to be disconnected and the Competent Authority shall be at liberty to initiate any action as per the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) and Rules framed there under.

That I shall seal the un-authorised portion of the building on my own as per directions of the Competent Authority and the entire expenditure involved in sealing of the un-authorized portion of the building shall be borne by me, be it related to material or labour. In

case sealing is done by the Competent Authority, the entire expenditure shall be paid by me to the Competent Authority, failing which the same shall be recovered from me as arrears of land revenue.".

Signature of applicant(s)
Address……………………………….
…………………………………….......
Phone No…………………….……….."

By order,
TARUN KAPOOR,
Addl. Chief Secretary (TCP).

विभागीय परीक्षा बोर्ड

अधिसूचना

फेयरलान्ज, शिमला–171012, 3 अप्रैल, 2018

संख्या हिपा (परीक्षा)–21/76–8.——भारतीय प्रशासनिक सेवा/हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा/हिमाचल प्रदेश वन सेवा, तहसीलदार व नायब तहसीलदार, राज्य में कार्यरत अन्य समस्त राजपत्रित अधिकारी/पात्र अराजपत्रित अधिकारी (अधीक्षक ग्रेड–II व वरिष्ठ सहायक) तथा आबकारी एवं कराधान विभाग के आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के राजपत्रित अधिकारी/पात्र अराजपत्रित अधिकारी तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि0 के अभियन्ताओं के लिए व हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के वरिष्ठ प्रबन्धकों/सहायक अभियन्ताओं के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन समय सारणी अनुबन्ध "क" के अनुसार हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड हिपा फेयरलान्ज, शिमला–171012, द्वारा दिनांक 18–06–2018 से 26–06–2018 तक किया जा रहा है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए वित्तीय प्रशासन पर्चा संख्या–1 का आयोजन शिमला के अलावा मण्डी तथा धर्मशाला में भी किया जाना है। इन परीक्षाओं का आयोजन हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 जोकि समय–समय पर संशोधित किए गए हैं, के अन्तर्गत किया जाएगा।

अतः समस्त इच्छुक उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि प्रतिदिन प्रातः का सत्र ठीक 10.00 बजे तथा सायं का 2.00 बजे बाद दोपहर आरम्भ होगा। जो उम्मीदवार विभागीय परीक्षा में बैठना चाहते हों वे अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियां पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ्स सहित अपने–अपने विभागाध्यक्षों के माध्यम से प्रपत्र के भाग–II पर अपनी पात्रता सत्यापित करवाकर सचिव, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड फेयरलान्ज, शिमला–171012 को प्रेषित करें जोकि हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में दिनांक 11–05–2018 तक पहुंच जाने चाहिएं।

आवदेन पत्र की अग्रिम प्रति सचिव, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड को भेजी जा सकती है। अग्रिम प्रति तभी मान्य होगी यदि विभागाध्यक्ष द्वारा पात्रता सत्यापित करके आवेदन पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से दस दिन पूर्व अर्थात 07–06–2018 तक सचिव, विभागीय परीक्षा बोर्ड के कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए। आवेदन पत्र व समय सारणी HIPA Website www.hipashimla.nic.in. से डाउनलोड़ अथवा आवेदन पत्र को टंकित व फोटोस्टेट भी करवाया जा सकता है।

आदेश द्वारा,
(टी. सी. शर्मा)
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड,
फेयरलान्ज, शिमला–171012.
(मो0 नं0) 94189–46008
0177–2734689